कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )14/एफसीए/प्रमुवसं/ 2144 दिनांकः 12.3.14

अधिशासी निदेशक (न्यू लॉचेज)
नाभिकीय ऊर्जा भवन,
ए–2–2, अणुशक्ति नगर,
मुम्बई–400094

विषयः–Diversion of 107.57 ha of forest land in Sarwan Deri block to set up Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power project in distt. Banswara (Raj).

संदर्भः–आपका पत्रांक NPCIL/New Launches/Mahi-Banswara (Forest)/2014/M/08 दिनांक 18.2.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से अग्रेषित प्रस्तावों के क्रम में लेख है कि प्रस्तावों के परीक्षणोपरांत निम्न कमियां पाई गई है ।

1. प्रस्तावित परियोजना परमाणु शक्ति के उपयोग से विद्युत उत्पादन से संबंधित है जिसमें अत्यधिक मात्रा में पानी का भी उपयोग किया जावेगा। उक्त परियोजना में पानी किस जल स्रोत से लिया जाना है का विवरण नहीं दिया गया है तथा जल उपयोग हेतु पानी की लाईनों हेतु वन भूमि की आवश्यकता रहेगी अथवा नहीं का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न जी.टी. शीट से प्रतीत होता है कि संभवतः आप द्वारा माही बांध परियोजना से विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक जल का उपयोग किया जावेगा। उक्त जी. टी. शीट से स्पष्ट है कि इस स्थिति में इस कार्य हेतु भी वन भूमि का प्रत्यावर्तन आवश्यक होगा। विद्युत उत्पादन हेतु माही बांध परियोजना से पानी के उपयोग के क्रम में जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है।

2. परियोजना की क्रियान्विति में वन भूमि के साथ–साथ गैर वन भूमि का भी उपयोग किया जाना है। प्रस्ताव के साथ एक सारिणी के रूप में जिसमें ग्रामवार आवश्यक कुल भूमि (जिसमें वन भूमि एवं गैर वन भूमि को पृथक–पृथक दर्शाया गया हो) संलग्न नहीं है।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफ.सी. दिनांक 8.7. 2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधीकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाईल में दर्शाया गया हो संलग्न नहीं है। इसी क्रम में गूगल अर्थ पर Superimpose किया हुआ kml / kmz मानचित्र भी संलग्न नहीं है।

4. भारत सरकार के परिपत्र 11–9/1998–एफ.सी. (Pt) दिनांक 3.8.09 से जारी निर्देशों अनुसार एवं दिनांक 5.7.2013 द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के तहत जिला कलक्टर द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र एवं आवश्यक संलग्नक प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। इसी क्रम में संबंधित ग्राम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है।

.....PTO

E/: c

5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये आवश्यक समतुल्य गैर वन क्षेत्र को वन विभाग को आवंटन करने के क्रम में जिला कलक्टर का आवंटन पत्र/सहमति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। इस संबंध में आप द्वारा कोई भी वचनबद्धता भी संलग्न नहीं की है।

6. प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों, मानचित्रों एवं अन्य दस्तावेजों की पृष्ठवार सूची संलग्न नहीं है।

अतः मूल प्रस्तावों के 7 सेट उक्तानुसार वांछित कमियों की पूर्ति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–प्रस्ताव–7 सेट ।

भवदीय,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वनसुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E/...